_उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्याः-29/2026/659/78-1-2026-14/2024
लखनऊः दिनांकः 11-06-2026

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या-142/78-1-2024-14/2024, दिनांक 19 जनवरी 2024 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति- 2024" को संलग्नक-1 के अनुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 "उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024", अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी 2024 की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी है।

संलग्नक-यथोक्त।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3 अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5 महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
7 निजी सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार
8 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ
9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

"उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024" में संशोधन

नीति के प्रस्तर	उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 में नीचे स्तम्भ-1 की विद्यमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-2 में अंकित व्यवस्था को रख दिया जाएगा।	
	स्तम्भ-1 विद्यमान व्यवस्था	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
5.2 उपादान का संवितरण	पूंजीगत प्रोत्साहन, जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन के अतिरिक्त है, केवल उसी स्थिति में संवितरित किया जायेगा, जब भारत सरकार द्वारा अपना अंश निर्गत कर दिया जाये। पूंजीगत उपादान का वितरण राज्य सरकार द्वारा Pari Passu मोड में किया जाएगा।'' पूंजीगत उपादान, भूमि की लागत में छूट एवं स्टाम्प शुल्क में छूट के अतिरिक्त नीति के अन्तर्गत प्राविधानित अन्य सभी राजकोषीय प्रोत्साहन, वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर पात्र होंगे।	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निवेशक की निवेश योजना के सापेक्ष पूंजीगत निवेश हेतु निवेशक द्वारा सर्वप्रथम अपना अंश ट्रस्ट एण्ड रिटेन्शन एकाउन्ट एग्रीमेन्ट यथापरिभाषित बैंक खाते में जमा किया जायेगा, जिसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा तथा इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा अपना अंश अवमुक्त किया जायेगा।' पूंजीगत उपादान, भूमि की लागत में छूट एवं स्टाम्प शुल्क में छूट के अतिरिक्त नीति के अन्तर्गत प्राविधानित अन्य सभी राजकोषीय प्रोत्साहन, वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर पात्र होंगे।
6.1 वित्तीय प्रोत्साहन	6.1.1 पूंजीगत उपादान: भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत उपादान का 50प्रतिशत। इस उपादान का वितरण भारत सरकार द्वारा दिए गये उपादान के Pari Passu मोड में होगा।	6.1.1 पूंजीगत उपादान: भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत उपादान का 50प्रतिशत। इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन से निवेशक का 'क्लेम फॉर फिस्कल सपोर्ट' अनुमोदित होने के उपरान्त, इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन के द्वारा निर्गत अनुमोदन-पत्र में निवेशक, राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा योगदान की जाने वाली धनराशि के अनुरूप, निवेशक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		द्वारा अपना अंश जमा करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा अपना अंश तथा इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा अपना अंश अवमुक्त किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in